

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में "वरिष्ठ पफ्युज़निस्ट" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, "वरिष्ठ पफ्युज़निस्ट" पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

नई दिल्ली

दिनांक : 28.06.2024



(राम नरेश)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष -23061843

(राम नरेश)
(RAM NARESH)

अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2024

सा.का.नि. ... -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ख'पद), 2007 को, जहां तक उनका संबंध डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा वरिष्ठ पर्युजनिस्ट के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ पर्युजनिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के वरिष्ठ पर्युजनिस्ट (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2024 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
)1()2()3()4()5()6(
वरिष्ठ पर्सनल मैनेजर	01* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900 – 142400 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
)7()8()9()10(
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
)11()12()13(
<p>प्रोन्नति: प्रोन्नति ऐसे कनिष्ठ पर्सनलिस्ट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) ग्रेड स्तर-6 में 5 साल तक नियमित सेवा की हो और जिन्होंने इस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है):</p> <p>(क) (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्सनल प्रद्योगिकी में स्नातक डिग्री और किसी भी सक्रिय हृदय संबंधी केंद्र से 2 वर्ष का अनुभव या 2. . किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्सनल प्रद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष), या 3. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्सनल प्रद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री <p>टिप्पण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; 2. . उप निदेशक, प्रशासन, डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य। 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन जो डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल का काम देखते हों - सदस्य; 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

संख्या. ए.11018/23/2022-एम एच-2

राम नरेश,
अवर सचिव, भारत सरकार